अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– एफएसएसए/विशेष अभियान/होली /2018/143 दिनाँकः– 8/2/18

1. राज्य अभिहित अधिकारी एवं
संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0),
मुख्यालय।

2. समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन–राजस्थान

3. समस्त अभिहित अधिकारी एवं
उप निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान

4. समस्त अभिहित अधिकारी एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– होली के त्यौहार पर दिनांक 14.02.2018 से 28.02.2018 तक विशेष अभियान चलाकर खाद्य पदार्थो के नमूनीकरण बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि होली के त्यौहार पर खाद्य पदार्थो की मांग/खपत बढने के कारण अनेक निर्माता/व्यापारियों द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो की बिक्री बाजार में किये जाने की सम्भावना को रोकने तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो की बिक्री पर प्रभावी अंकुश/नियंत्रण हेतु आप अपने सम्भाग/जिलों में विभाग द्वारा **दिनांक 14.02.2018 से 28.02.2018 तक विशेष अभियान** के तहत कार्यवाही हेतु एक सुंयक्त दल का गठन किया जावे, जिसमें एक विभागीय अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व वाहन मय वाहन चालक रखा जावे। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नमूनीकरण कार्यवाही हेतु सभी अभिहित अधिकारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्लिप व अन्य सामग्री आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायी जावे। **सम्भाग/जिले/केन्द्रीय दल में गठित प्रत्येक दल को प्रतिदिन 05 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण व 05 नमूनीकरण का लक्ष्य आवंटित किया जा रहा है तथा संवेदनशील/सीमावर्ती क्षेत्र जैसे अलवर/भरतपुर/धौलपुर में प्रतिदिन कम से कम 06 नमूनीकरण का कार्य एक्ट** के तहत किया जाना सुनिश्चित जिसकी पूर्ति लक्ष्य अनुसार सुनिश्चित की जावे व प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन नियमित रूप से **सांयकाल 6:00 बजे तक अथवा अगले दिवस प्रातः 10 बजे तक** एफएसएसए अनुभाग की ईमेल आईडी **fssa.2006@yahoo.com** पर निम्न प्रपत्रानुसार सॉफ्ट कॉपी (ऐक्सल शीट) में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रगति प्रतिवेदन की प्रतिदिन समिक्षा कर लक्ष्य पूर्ति ना करने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम के अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

प्रपत्र

होली अभियान की सूचना प्रपत्र

जिले/जोन का नामः–.. दिनांकः–....................................

क0 सं0	नमूना/ निरीक्षण किये जाने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम	निरीक्षण किये गये प्रतिष्ठान का नाम व पूर्ण पता	खाद्य पदार्थ का नाम	नमूना कोड/ क्रमांक	निरीक्षण मे पाई गई कमी का विवरण	नष्ट/सीज करवाये गए माल का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

नोटः– विधानसभा दशम् सत्र को मध्यनज़र रखते हुये सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विधानसभा प्रश्नों के जवाब भी तैयार किये जाने हेतु अपने कार्यालय से सम्पर्क स्थापित रखेगे, जिससे प्रश्नों के जवाब की सही समय पर दिये जा सके।

8-2-18

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

E:/FSSA/2018/Abhiyan/Holi Abhiyan E-Mail:- fssa.2006@yahoo.com Ph. No. 0141-2388141

क्रमांकः– एफएसएसए/विशेष अभियान/होली /2018/143 दिनाँकः– 8/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
5. अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
6. मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर। chief.public.analyst@gmail.com
7. खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा।
8. प्रभारी, केन्द्रीय दल (खाद्य सुरक्षा), मुख्यालय।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बंधित को ईमेल कर विभाग की वेबसाईट पर भी अपलोड करे।
10. रक्षित पत्रावली।

8.2.18

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर